प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शि०नि०(बे०)/53940-54017/**2025-26 दिनांक** 13/12/2025

विषय-माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-87/2025 अंशुमान सिंह व अन्य बनाम नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर्स एजुकेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 के अनुपालन में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बी०एड० योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ब्रिजकोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-87/2025 अंशुमान सिंह व अन्य बनाम नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर्स एजुकेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 के अनुपालन में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बी०एड० योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ब्रिजकोर्स के सम्बन्ध में है।

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-87/2025 अंशुमान सिंह व अन्य बनाम नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर्स एजुकेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 का कार्यकारी अंश निम्नवत है-

"As it appears that a large number of candidates with B.Ed. degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authorities, we do not think it to be equitable to effect their removal. We, accordingly hold that the Judgment delivered by this Bench on 11 August, 2023 shall have prospective operation. But prospective operation of this judgment shall be only for those candidates who were appointed without any qualification or conditions imposed by any Court of Law to the effect that their appointment would be subject to final outcome of the case which might have had been instituted by them and such candidates were in regular employment without any disqualification and were appointed in pursuance of a notice of advertisement where B.Ed. was stipulated to be valid qualification. Services of only such candidates shall not be disturbed because of this judgment. We make it clear that this benefit is only for the candidates who were appointed prior to the date our judgment was delivered, on 11 August, 2023. Mere selection of such candidates or their participation in the process will not entitle them for a benefit under our present order..

Moreover, the candidates having B.Ed.qualification whose appointments we are protecting in this judgment, will have to undergo a bridge course and we direct the educational authorities to device such course, which would be applicable for each state and union territory, within a period of one year from today. This course shall be only for those appointees who have been engaged with B.Ed. degree only in the subject-posts under conditions stipulated in the earlier part of this order. National Council for Teacher Education shall design such course under overall supervision of the Ministry of Education, Union of India. Upon formulation of such course, the same shall be publicly notified and a timeframe shall also be given within which the respective candidates shall participate therein. **Failure of any candidate to participate and complete the course within the timeframe to be given by the concerned educational authorities will Invalidate the appointment of such candidate.**

We also make it clear that the directions contained in this order shall not be confined to the applicant state only and shall cover all cases which may be pending in different Judicial fora in any State or Union territory on the same point of law. The present application stands disposed of in the above terms."

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में बी०एड० योग्यताधारी सहायक अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन०आई०ओ०एस०) नई दिल्ली के पत्रांक एफ-82-20/2025/ NIOS/CBC /BRIDGE/Corr दिनांक 25.11.2025 द्वारा 6 माह

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (ब्रिज) कोर्स ओपने एंड डिस्टेंस लर्निंग विधि (ODL Mode) से कराये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.12.2025 तक निर्धारित की गयी है, के लिये सम्बन्धित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन http://bridge.nios.ac.in पर कर सकते है। पंजीकरण हेतु अर्हता एवं दिशा निर्देश राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन0आई0ओ0एस0) नई दिल्ली के पत्रांक एफ–82–20/2025/ NIOS/CBC /BRIDGE/Corr दिनांक 25.11.2025 में दी गयी वेबसाइट http://bridge.nios.ac.in पर उपलब्ध है। ब्रिज कोर्स पंजीकरण में तकनीकी समस्या के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन0आई0ओ0एस0) नई दिल्ली की ई0मेल bridgesupport@nios.ac.in पर मेल किया जा सकता है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बी0एड0 योग्यताधारी सहायक अध्यापक को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन0आई0ओ0एस0) नई दिल्ली द्वारा दिये गये लिंक पर दिनांक 25.12.2025 तक रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में यदि कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स में प्रतिभाग एवं कोर्स को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नही करता है तो उसकी नियुक्ति को अमान्य कर दिया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित स्वंय उत्तरदायी होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/53940–54017 /2025–26, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।